308

सॅ0 741 /XXIV(1)/2014-11/2014

प्रेषक,

आर0 के0 तोमर,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

शिक्षा अनुभाग-1(बेसिक) देहरादूनः दिनांकः 11 जुलाई, 2014

विषयः वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में प्रारम्भिक शिक्षा हेतु व्यवस्थित धनराशि में से शिक्षा मित्रों का मानदेय भुगतान हेतु धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-अर्थ-2/1343/5क(1)03/ 2014-15 दिनांक 28-04-2014 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में प्रारम्भिक शिक्षा हेतु व्यवस्थित धनराशि में से अनुदान सॅ0-11 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में रू0 56,00,00,000-00 (रूपये छप्पन करोड़ मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1) वित्त विभाग के शासनादेश सॅ0 318/XXVII(1)/2013 दिनांक 18-03-2014 में वर्णित शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) व्यय करने से पूर्व यथास्थिति सुसंगत वित्तीय नियमों तथा प्रचलित प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।स्वीकृत धनराशि का व्यय कुल कार्यरत शिक्षामित्रों की संख्या के सत्यापन करने के उपरान्त वास्तविक आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

(3) योजनाओं के विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों/आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति प्राप्त की जायेगी। स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष, आहरण/व्यय यथा आवश्यकता मासिक व्यय की सारिणी बनाकर किया जाय।

(4) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

(5) अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।

(6) आवंटनों के अनुसार आहरित व्यय के विवरण निर्धारित तिथि तक शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जाय। इसी प्रकार व्यय के संबंध में व्ययाधिक्य एवं बचतों के विवरण शासन की निर्धारित अवधि के अन्दर उपलब्ध करा दिये जायं।

(7) मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

(8) व्यय संबंधी जो भी बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये उसमें लेखाशीर्षक के साथ-साथ अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाय।

....2/..

02– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–11 के अधीन लेखाशीर्षक–2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 102–अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता, 18–शिक्षा मित्रों को मानदेय का भुगतान, 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता के नामें डाला जायेगा।

03– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0–35(NP)/XXVii(3)/2014-15 दिनांक 11.07.2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(आर0 के0 तोमर)
संयुक्त सचिव।

सँ0 /XXIV(1) /2014–11/2014 /तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

01. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड, ओवराय बिल्डिंग, देहरादून।
02. महालेखाकार(आडिट), महालेखाकार कार्यालय, वैभव पैलेस, सी–1/105 इन्द्रानगर, देहरादून।
03. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड (निदेशक के माध्यम से)
04. राज्य परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड सभी के लिये शिक्षा परिषद, ननूरखेड़ा देहरादून।
05. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
06. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड (निदेशक के माध्यम से)
07. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
08. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
09. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0के0 तोमर)
संयुक्त सचिव।